राजस्थान में गरीबों एवं अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाएं

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र
(आस्था की इकाई)

actionaid
एक्शनएड
इण्डिया

राजस्थान में गरीबों एवं अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाएं

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र
(आस्था की इकाई)

actionaid
एक्शनएड
इण्डिया

राजस्थान में गरीबों एवं अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाएँ

शोध एवं लेखन :
नेसार अहमद
पीयूष शर्मा
सकील कुरैशी

दिसम्बर, 2018

अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु
इस पुस्तिका का उपयोग संदर्भ के साथ किया जा सकता है।

© बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र (आस्था की इकाई)

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र (आस्था की इकाई)

मुद्रक : रूचिका क्रिएशन
चौड़ा रास्ता, जयपुर फोन # 0141-4043430, 9799321626

प्रस्तावना

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर) 6.85 करोड़ है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की जनसँख्या लगभग 11.41 प्रतिशत अर्थात् 78.18 लाख है, जिसमें मुस्लिम 62.15 लाख, सिक्ख 8.73 लाख, जैन 6.22 लाख, इसाई 0.96 लाख एवं बौद्ध 0.12 लाख हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 2 (सी) के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व पारसी समुदाय को शामिल किया गया है लेकिन अभी हाल में जैन समुदाय को भी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार ने 2009 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया है। राज्य सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पिछले कुछ समय से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती आ रही है। लेकिन प्रायः देखने में आया है कि इन योजनाओं में कैसे एवं कहाँ आवेदन करके कितना लाभ लिया जा सकता है इसकी पर्याप्त जानकारी का अभी भी लोगों में अभाव है।

इसके अलावा जैसा कि बार्क के एक अध्ययन सहित कई अध्ययनों से पता चलता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता है।

इस पुस्तिका में हमने केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग सहित अन्य कई विभागों के माध्यम से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी (योजना, पात्रता, लाभ एवं संपर्क) को एक पुस्तक में संग्रहित करने का प्रयास किया है। इस पुस्तिका में हमारा उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी शहरों के साथ दूर–दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना है, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग के अलावा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ उठा सकें तथा अन्य वर्गों के भी अधिक से अधिक परिवार एवं व्यक्ति इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

बार्क द्वारा शीघ्र ही **''राजस्थान में जिला एवं निम्न स्तर पर उपलब्ध स्थानीय संसाधन''** पर एक पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। इस पुस्तिका में व्यक्तिगत तथा सामूहिक लाभ की सरकारी योजनाओं का जिक्र किया गया है। इनके अलावा गांव, पंचायत और जिला स्तर पर कुछ छोटी–छोटी निधियाँ (फंड) हैं जिनके संचालन में नागरिकों की भागीदारी भी होती है।

हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका अल्पसंख्यक वर्गों के साथ ही अन्य समुदायों के परिवारों एवं व्यक्तियों के लिए उपयोगी साबित होगी।

– नेसार अहमद

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	बच्चों के विकास के लिए योजनाएं	1
2	स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं	3
3	पोषण एवं खाद्य सुरक्षा की योजनाएं	4
4	आवासीय योजनाएं	6
5	कौशल/हुनर विकास योजनाएं	8
6	स्वरोजगार/दस्तकार/कारीगर महिला व पुरुषों के लिए योजनाएं	10
7	बुनकरों के लिए योजनाएं	12
8	सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं	13
9	बीमा योजनाएं	15
10	श्रमिक सुरक्षा की योजनाएं	16
11	निर्माण मजदूरों के लिए योजनाएं	17
12	अल्पसंख्यकों (अकलियतों) के लिए विशेष कार्यक्रम	19
13	क्षेत्रीय विकास योजनाएं	26
14	महत्वपूर्ण कानून	28

बच्चों के विकास के लिए योजनाएं

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

योजना का उद्देश्य :– बेटियों की जन्म दर बढ़े, बेटियों को अच्छी परवरिश मिले व बेटियाँ पढ़ लिखकर आगे बढ़ें।

योजना के लाभार्थी :– सभी बालिकाएं जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12 वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ये राशि निम्न चरणों में दी जाती है।

- बेटी के जन्म के समय 2500 रुपये।
- एक वर्ष का टीकाकरण होने पर 2500 रुपये।
- पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये।
- कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रु.।
- कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये।
- कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25,000 रु. ।

अब राजश्री योजना का लाभ लाभार्थी को सीधा अपने बैंक खाते में मिले, इसके लिए भामाशाह कार्ड से योजना को जोड़ा गया है।

आवेदन कहाँ करें :– जिले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करें।

पालनहार योजना

योजना का उद्देश्य :– अनाथ बालक–बालिकाओं के लालन–पालन की व्यवस्था परिवार के भीतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गयी है।

योजना के लाभार्थी :– अनाथ–बालक, बालिका, विधवा या परित्यक्ता जिन्हें पेंशन लाभ मिल रहा है, के बच्चे, आजीवन कारावास / मृत्युदंड भोग रहे माता पिता के बच्चे, कुष्ठ या एच.आई.वी. पीड़ित माता–पिता के बच्चे इस योजना में पात्र हैं। यह योजना केवल 2 बच्चों तक ही है तथा 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी में पंजीकृत हों तथा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे नियमित विद्यालय में अध्ययन कर रहे हों।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– 1 से 5 तक के प्रत्येक बच्चे को 500 रु. प्रतिमाह तथा 6 से 18 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 1000 रुपये प्रतिमाह तथा 2000 रुपये वर्ष में एक–बार (विधवा एवं परित्यक्ता की श्रेणी को छोड़कर) प्रत्येक बच्चे को कपड़ों आदि के लिए दिए जाते हैं।

आवेदन कहाँ करें :– शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

किशोरी शक्ति योजना

योजना का उद्देश्य :– किशोरी शक्ति योजना का प्रमुख उद्देश्य किशोरी बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके व्यक्तित्व निर्माण एवं उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा संपोषित यह योजना राज्य के 10 सबला जिलों को छोड़कर शेष 23 जिलों में संचालित की जा रही है।

योजना के लाभार्थी :– इस योजना के अंतर्गत स्कूल न जाने वाली या स्कूल बीच में छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को शामिल किया गया है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– इस योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को पोषणीय और गैर पोषणीय सेवाओं के तहत लाभान्वित किया जाता है :–

- **पोषणीय सेवाएँ :–** पोषणीय सेवाओं के तहत प्रत्येक आगनबाडी केन्द्र पर रोटेशन के आधार पर 2 कुपोषित किशोरी

बालिकाओं को सप्ताह में 6 दिन का गर्भवती/धात्री माताओं के बराबर पूरक पोषाहार उनके सामान्य श्रेणी में आने तक दिये जाने का प्रावधान है।

- **आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण :–** प्रत्येक किशोरी को सप्ताह में एक आयरन फोलिक एसिड की गोली सत्रों के दौरान दी जाती है।
- **स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ**
- **एन.एच.ई. (पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा)**
- **परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखरेख प)तियाँ एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन**
- **जीवन कौशल शिक्षा**
- **सार्वजानिक सेवाओं तक पहुँच**
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण**

आवेदन कहाँ करें :– अपने क्षेत्र का आंगनबाड़ी केंद्र।

नोट :– अब यह योजना ''किशोरियों के लिए योजना'' के नाम से चलाई जाएगी, जिसमें 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को शामिल किया जायेगा।

मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

योजना का उद्देश्य :–

- बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- राज्य की मेधावी छात्राओं को राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित ठहराव सुनिश्चित करना।
- बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने और उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करना।

योजना के लाभार्थी :–

- राजस्थान की मूल निवासी लड़कियाँ, सरकारी विद्यालय से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक नियमित रूप से अध्ययन किया हों।
- कक्षा 12 में 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किये हों, राज्य के किसी विश्वविद्यालय प्रवेश में लिया हुआ हो।
- माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

- इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को सरकार द्वारा स्कूटी दी जाती है।
- स्कूटी वितरण के साथ एक साल का बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सौंपने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

आवेदन कहाँ करें :– मेधावी छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएँगे।

स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं

जननी सुरक्षा योजना

योजना का उद्देश्य :– मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु व संस्थागत प्रसव में वृद्धि के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गयी। जिसके अंतर्गत प्रसूताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के लाभार्थी :– सभी वर्ग की गर्भवती महिलाएं जो सरकारी चिकित्सा संस्थानों अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर प्रसव करवाती है। बीपीएल परिवार की सभी महिलाएं जिनका घरेलू प्रसव हुआ हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर 1400 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा आशा सहयोगिनी को 300 रुपये संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के लिए और 300 रु. गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व सेवाएँ प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं।
- शहरी क्षेत्र की महिलाओं को संस्थागत प्रसव करने पर 1000 रु. की नकद सहायता एवं 200 रु. आशा सहयोगिनी को संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन हेतु दिए जाते हैं।

आवेदन कहाँ करें :– अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जाँच योजना

योजना का उद्देश्य :– सभी वर्गों के मरीजों के लिए राजकीय अस्पताल में निःशुल्क दवाइयाँ एवं जाँच की सुविधा उपलब्ध करवाना।

योजना के लाभार्थी :– सभी वर्ग के मरीज, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष का लाभ लेने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– सभी प्रकार की दवाइयाँ एवं जाँच की सुविधा निःशुल्क प्राप्त होगी।

आवेदन कहाँ करें :– सभी राजकीय अस्पताल।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना का उद्देश्य :– राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना इस योजना का उद्देश्य है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाती है। योजना में जांच, इलाज, डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन आदि सब शामिल किये गए हैं। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ चुनिंदा निजी (प्राइवेट) अस्पतालों में भी ये सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

योजना के लाभार्थी :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवार इस योजना में पात्र हैं।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30 हजार तथा गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना में 1401 बीमारियों को शामिल किया गया है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुए खर्च के अलावा 10 दिन बाद तक का खर्च शामिल किया जाता है।

आवेदन कहाँ करें :– योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपना भामाशाह कार्ड अस्पताल प्रशासन को देना होता है। उसके बाद की सारी प्रक्रिया की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होती है।

पोषण एवं खाद्य सुरक्षा की योजनाएं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

योजना का उद्देश्य :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राज्य में 2 अक्टूबर 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को खाद्य से सम्बंधित लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।

योजना के लाभार्थी :– अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र परिवार (विभागीय अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी, 2016 में शामिल)। गर्भवती और धात्री महिलाएं (बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक)।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार तथा अन्य पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह वितरण तथा यात्रा एवं गर्भवती महिलाओं को आँगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा पोषाहार दिया जाता है।

आवेदन कहाँ करें :– कोई भी प्रार्थी साधारण कागज पर आवेदन के साथ एनएफएसए समावेशन पात्रता श्रेणी के दस्तावेज संलग्न कर उपखंड अधिकारी के समक्ष अपील के माध्यम से अपना नाम एनएफएसए (NFSA) सूची में जुड़वा सकता है।

आंगनबाड़ी

योजना का उद्देश्य :– राज्य के बच्चों एवं महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं।

योजना के लाभार्थी :– सभी 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे, सभी गर्भवती महिलाएं, माताएं एवं किशोरियाँ।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– बच्चों को पोषाहार एवं स्कूल जाने से पूर्व शिक्षा व खेलकूद की सुविधा दी जाती है। किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर सामान्य दवाएं, ओ.आर.एस. का घोल एवं पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। सभी बच्चों का महीने में एक बार वजन लेकर ग्रोथ कार्ड पर दर्ज किया जाता है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य दिवस (एम. सी.एच.एन.डे.) पर टीकाकरण भी किया जाता है।

आवेदन कहाँ करें :– अपने क्षेत्र का आंगनबाड़ी केंद्र।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

योजना का उद्देश्य :– प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है।

योजना के लाभार्थी :–

- दिनांक 01.01.2017 को या उसके पश्चात् प्रथम जीवित बच्चे से सम्बंधित समस्त गर्भवती एवं धात्री महिलाएं योजना की पात्र है।
- एक लाभार्थी केवल एक बार योजना के तहत सशर्त मातृत्व लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

क्र.सं.	नकद भुगतान	शर्तें	राशि (रुपये में)
1	प्रथम किश्त	गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण	1000
2	दूसरी किश्त	कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच	2000
3	तीसरी किश्त	बच्चे के जन्म का पंजीकरण	2000
		रोगों से बच्चों के बचाव के लिए बच्चों को बी.सी.जी., डी. पी.टी. एवं हेपेटाईटिस–बी. उसके समकक्ष टीके लगे हो।	

आवेदन कहाँ करें :– आंगनबाड़ी केन्द्र

राशन वितरण एवं आधार

प्रदेश में हर परिवार को उसके हक का राशन मिले और पूरा मिले इसके लिए सरकार ने बायोमैट्रिक पहचान से राशन वितरण शुरू किया है।

पॉस मशीन से राशन लेने की प्रक्रिया

आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पॉस मशीन पर लगा कर, अपनी पहचान दर्ज करके राशन ले सकते हैं। अंगूठा मशीन पर कुछ देर तक लगाए रखना होता है (जब तक मशीन में लाइट न जल उठे) किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की तीन बार में पहचान न हो सके तो भामाशाह में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल पर मैसेज से अपने आप एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है। इस ओटीपी को मशीन में दर्ज करके भी राशन लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई मोबाइल नं. भामाशाह में दर्ज नहीं है तो आप ई–मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज करवा सकते हैं ताकि आपको यह सुविधा मिल सके।

पात्र व्यक्ति के अगूंठे की पहचान पॉस मशीन में नहीं होती है, और खाद्य सुरक्षा की सूची में पात्र व्यक्ति का नाम है तो दुकानदार के पास एक रजिस्टर होता है उसमें पात्र व्यक्ति अपना नाम दर्ज कराकर अपने राशन को लेने के लिए हकदार है।

अन्नपूर्णा भंडार योजना

राजस्थान सरकार ने गांव–गांव तक लोगों को ब्रांडेड उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए 31, अक्टूबर 2015 से अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरूआत की। योजना में 5900 से अधिक राशन की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया गया है।

शहरों में मिलने वाले ब्रांडेड उत्पाद अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से अब गावों में भी उपलब्ध हैं। 45 तरह के लगभग 350 से अधिक गुणवत्तायुक्त मल्टीब्रांड उत्पाद इन अन्नपूर्णा भंडारों पर उचित कीमत पर मिलते हैं। इन अन्नपूर्णा भंडारों से रूरल मॉल का सपना साकार हुआ है।

भण्डार पर मिलने वाले उत्पादों की एम.आर.पी. पर उचित मूल्य के दुकानदारों को न्यूनतम 2 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अधिकतम छूट प्राप्त होगी।

आवासीय योजनाएं

मुख्यमंत्री जन आवास योजना

योजना का उद्देश्य :– मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 का उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास की व्यवस्था करना है। इस योजना में विशेष रूप से समाज के EWS (Economical Weaker Section) और LIG (Low Income Group) वर्गों को आवास उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ एकीकृत किया गया है ताकि लाभार्थियों को अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।

योजना के लाभार्थी एवं योग्यता :–

- EWS श्रेणी में आने वाले लोगों की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- LIG श्रेणी में आने वाले लोगों की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के नाम पर कोई घर या प्लॉट नहीं होना चाहिए और न ही परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर कोई घर या प्लॉट होना चाहिए।
- आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए इसका उसके पास पक्का सबूत होना चाहिए।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

- 2022 तक प्रदेश में 18 लाख मकान बनाने का प्रावधान है, मकान बनाये जाने से लोगों को मुख्यमंत्री जन आवास योजना का फायदा दिया जायेगा।
- इस योजना से गरीबों को सस्ते मकान मिल पायेंगे। इस योजन के तहत आवेदकों को 1250 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से 2 BHK फ्लैट दिए जायेंगे।
- इस योजना के लिए गरीब परिवार बैंक से लोन ले सकते हैं।

आवेदन कहाँ करें :– नीचे दिये गये लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
(http://rhbonline.rajasthan.gov.in:1001/SEPL.PWIMS.Estate.Web.UI/Applicant/Profile/ApplicantRegistration.aspx?isexternalproject=1)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

योजना का उद्देश्य :– पीएमएवाई का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे–फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इसका वर्तमान उद्देश्य 2016–17 से 2018–19 तक 3 वर्षों में कच्चे/टूटे–फूटे मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करना है।

योजना के लाभार्थी :–

- आवेदन परिवार की महिला के नाम से करना होगा।
- अनुबंध– I में दर्शाई गयी बहिर्वेशन प्रक्रिया के अधीन शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार या कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होंगे। जिसकी जाँच ग्रामसभा द्वारा की जाती है लाभार्थियों के चयन में शिकायतों को दूर करने के लिए एक अपीलीय प्रक्रिया भी बनाई गयी है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– साफ–सुथरे रसोई घर के साथ मकान के न्यूनतम आकार को बढाकर 25 वर्ग मीटर (20 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर) कर दिया गया है। शौचालय के निर्माण के लिए एसबीएम, मनरेगा योजना या वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्त्रोत से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पाइप के जरिये पेयजल, बिजली के कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन इत्यादि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत तालमेल के भी प्रयास करना।

- इकाई सहायता को मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रु. से बढाकर 1.20 लाख रु. कर दिया गया है
- पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलो में 75,000 रु. से बढाकर 1.30 लाख रु. कर दिया गया हैं।

आवेदन कहाँ करें :– सामाजिक और आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर ग्राम सभा द्वारा चयन किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी)

योजना का उद्देश्य :– प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबी एवं कच्ची/मलिन बस्तियों के परिवारों को 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध करने का प्रावधान है।

योजना के लाभार्थी :–

- लाभार्थी को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे वाले परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है।
- लाभार्थियों का अपने नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थी मिशन के सभी 4 विकल्पों में पात्र हैं जबकि एलआईजी श्रेणी मिशन के केवल सी.एल.एस.एस. (ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना) घटक के अंतर्गत पात्र हैं।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– सबके लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा मिशन मोड में संचालित एक कार्यक्रम है जिसमें देश जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा, वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का प्रावधान हैं। मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित 4 कार्यक्रम घटकों के माध्यम से पूरा करना है :

- भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से मलिन बस्तियों के परिवारों का पुनर्वास।
- ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी।

आवेदन कहाँ करें :–

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन किसी भी नजदीकी जन सुविधा केंद्र या pmaymis-gov-in/ की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।

कौशल/हुनर विकास योजनाएं

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना

योजना का उद्देश्य :– सरकारी एवं अनुदानित शिशु गृहों/बाल गृहों/नारी निकेतनों में रहने वालों को समाज की मुख्यधारा में लाने, स्वावलम्बी बनाने एवं कौशल विकास प्रदान करने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में व्यवसायिक, तकनीकी, उच्च शिक्षा एवं स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करवायी जाती है।

योजना के लाभार्थी :– 17 से 21 वर्ष की आयु के सभी बालक–बालिकाएं जो बालगृहों में रह रहे हों या पालनहार योजना के लाभार्थी हैं।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– 50,000 रु. तक की राशि एकमुश्त।

आवेदन कहाँ करें :– जिला परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

योजना का उद्देश्य :– दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य बहु आयामी पहुँच के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गरीबों के लिए सतत् आजीविका के अवसर सृजित करना है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

1. **सामाजिक एकजुटता व संस्थागत विकास :–** राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के इस घटक के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह बनाये जायेंगे। स्वयं सहायता समूहों का गठन गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के माध्यम से किया जायेगा।

2. **कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार :–** कौशल प्रशिक्षण व प्लेसमेंट द्वारा रोजगार का मुख्य उद्देश्य शहरी बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण दिलवाकर उनको रोजगार व स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना है।

3. **स्वरोजगार योजना :–** स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एकल व समूह उद्यम स्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम से ऋण के रूप में आर्थिक सहयोग का प्रावधान है। व्यक्तिगत उद्यम (2 लाख रु.) एवं समूह उद्यम (10 लाख रु.) अधिकतम ऋण बैंको की प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगा।

4. **शहरी पथ विक्रेताओं को सहयोग :–** पथ विक्रेताओं का सर्वे व पंजीयन कर पहचान पत्र जारी करना।

5. **आवासहीन लोगों हेतु आश्रय स्थल :–** इस घटक के अंतर्गत एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में 24'7 सामुदायिक आश्रय भवनों का निर्माण कर आश्रयविहीन लोगों हेतु अस्थायी आश्रय स्थल व मूलभूत सुविधाएँ(किचन, पानी, शौचालय, भोजन, स्वास्थ्य संबंधी सेवायें) उपलब्ध कराना।

योजना के लाभार्थी :– बीपीएल परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, शहरी गरीब जिनकी आय 1 लाख रुपये सालाना से कम हो।

आवेदन कहा करें :– संबंधित नगर निकाय के कार्यालय में।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)

योजना का उद्देश्य :– जमीनी स्तर पर निर्धनों की सशक्त एवं स्थाई संस्था बनाकर ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार एवं हुनर, मजदूरी एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाकर गरीबी को कम करना जिसके फलस्वरूप उनकी आजीविका में निरंतर उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

योजना के लाभार्थी :– बीपीएल परिवार, अन्त्योदय परिवार, परिवार वाले स्वयं सहायता समूह।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

- **स्वयं सहायता समूहों का गठन :–** समूहों के गठन एवं विकास के लिए एनजीओ, सीबीओ, सामुदायिक समन्वयकों, एवं सुविधादाताओं को 10000 रु. प्रति समूह दिए जाते हैं।
- **परिक्रामी निधी (आरएफ) :–** एसएचजी के कॉरपस के रूप में न्यूनतम 10000 से लेकर 15000 प्रति एसएचजी सहायता दी जाएगी। यह उन सभी एसएचजी को दी जाएगी जिन्होंने पहले आरएफ प्राप्त नहीं किया।

- **क्षमता निर्माण तथा कौशल प्रशिक्षण :–** इस घटक के तहत 7500 रु. की राशि प्रति लाभार्थी उपलब्ध है, जो न केवल लाभार्थियों बल्कि कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्टाफ, सामुदायिक पेशवरों, सम्बंधित सरकारी कर्मचारियों, एनजीओ, पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं आदि सहित अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण के लिए उपयोग की जाती है।
- **पूंजीगत सब्सिडी (सीएस) :–** एसएचजी के सदस्यों तथा वैयक्तिक लाभार्थियों दोनों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 15000 रु. तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 20000 रु. प्रति जनजाति श्रेणी की पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र है। प्रत्येक एसएचजी अधिकतम 2.50 लाख रु. की सब्सिडी के लिए पात्र है।
- **ब्याज सब्सिडी :–** बैंकों से प्राप्त सभी एसएचजी कर्ज के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर पर सब्सिडी, समय पर पुनर्भुगतान पर आधारित है, किसी लाभार्थी एसएचजी सदस्य को ब्याज पर सब्सिडी उसके द्वारा 1 लाख रुपये तक के बैंक कर्ज पर दी जाएगी।
- **परिसंघों के स्थायित्व तथा दक्षता के लियी कॉरपस फंड हेतु एकमुश्त राशि :–**
    - ग्रामपंचायत स्तरीय परिसंघों के लिए – 10000
    - ब्लॉक स्तरीय परिसंघों के लिए – 20000
    - जिला स्तरीय परिसंघों के लिए – 100000

आवेदन कहाँ करें :– संबंधित नगर निकाय के कार्यालय में।

स्वरोजगार/दस्तकार/कारीगर महिला व पुरूषों के लिए योजनाएं

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, 2005 के अनुसार अकुशल कार्य के लिए इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का मांग आधारित काम आवंटित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 31, दिसम्बर 2009 को इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना कर दिया गया है।

उद्देश्य – गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना, महिलाओं का सशक्तिकरण, ग्रामीण इलाकों में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे आजीविका में वृद्धि हो तथा ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है।

विशेषताएँ :–

- यदि किसी परिवार की मांग पर उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो निर्धारित दरों के अनुसार परिवार के हकदारी के हिसाब से पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का प्रावधान है।
- योजनान्तर्गत रोजगार के आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है। कम से कम एक तिहाई महिलाओं को रोगजार उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- आवेदकों को उनके गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यस्थल की दूरी गाँव से दूर होने की स्थिति में आवेदकों को 10 प्रतिशत मजदूरी अधिक दी जाएगी।
- योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर छाया हेतु शेड, पेयजल आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता जरुरी है।
- दुर्घटना होने के कारण श्रमिक की मृत्यु पर मुआवजा देने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं विशेष रूप से ग्राम पंचायत की विशेष भूमिका होती है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

योजना का उद्देश्य :– इस योजना में शहरी गरीब परिवारों (बी.पी.एल. चयनित परिवारों) को लाभान्वित कराया जाता है।

योजना के लाभार्थी :– चयनित बी.पी.एल. परिवार

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रु. तक का बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा कुल खर्चे की 5 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करवाई जाती है। इस योजना में 25 प्रतिशत या अधिकतम 50000 रु. तक की छूट का प्रावधान रखा गया है।

आवेदन कहाँ करें :– नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका कार्यालय।

महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम

योजना का उद्देश्य :– इस योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना रोजगार शुरू किया जा सकता है। एक समूह में कम से कम पांच महिलाओं का होना आवयश्क है।

योजना के लाभार्थी :– बी.पी.एल. चयनित परिवार की कम से कम पांच महिला सदस्यों का समूह।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– एक समूह को 3 लाख रु. या परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 60 हजार रु. तक का प्रति सदस्य में से जो भी कम हो, वह राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

आवेदन कहाँ करें :– पंचायत समिति/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका।

भामाशाह रोजगार सृजन योजना

योजना का उद्देश्य :– इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक को आत्मनिर्भर करना है, ताकि वह

किसी के ऊपर निर्भर न रहे और वह रोजगार प्राप्त कर सके।

योजना के लाभार्थी :– 18 से 50 आयु वर्ग के सभी महिला व पुरुष, जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हों व राजस्थान का मूल निवासी हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– इस योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थियों को उनकी परियोजना के आधार पर सेवा व व्यापार कार्य के लिए अधिकतम 05 लाख रु तथा उद्योग हेतु अधिकतम 10 लाख रु तक का ऋण दिया जाता है एवं सभी क्षेत्रों में 4 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाता है।

आवेदन कहाँ करें :– आवेदन ऑनलाइन करें (www-ibs-rajasthan-gov-in)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

योजना का उद्देश्य :– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र के अंतिम छोर के व्यक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों तथा लघु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करना है। इस योजना का शुभारम्भ 8 अप्रैल 2015 को किया गया।

योजना के लाभार्थी :–

- भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर कृषि क्षेत्र की आय प्राप्त करने की गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र वाले व्यवसाय योजना हो और जिसकी ऋण आवश्यकता 10 लाख रुपये से कम हो।
- कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, स्वामित्व आधारित प्रतिष्ठान, भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा अन्य निकाय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन का पात्र है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तीन श्रेणियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। ''शिशु'' ''किशोर'' तथा ''तरुण'' (युवा)। इनकी सीमाएं निम्न हैं :–

- शिशु के लिए 50 हजार तक।
- किशोर के लिए 50 हजार रुपये से अधिक तथा 5 लाख रुपये तक।
- तरुण (युवा) के लिए 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता।

आवेदन कहाँ करें :– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक, अल्प वित्त संस्था अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संपर्क करें।

बुनकरों के लिए योजनाएं

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना :– हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के निम्नलिखित घटक हैं :–

(अ) महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

(ब) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(स) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

नोट :–

- महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना के तहत 1.06.2017 से पहले पंजीकृत बुनकर ही योजना के पात्र हैं। 1.06.2017 के बाद इस योजना में कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बीमा योजना के अंतर्गत दिया हुआ है।

मिल गेट कीमत पर धागे की आपूर्ति

योजना का उद्देश्य :– इस घटक का उद्देश्य पात्र हथकरघा बुनकरों को मिल गेट कीमत पर सभी प्रकार का धागा उपलब्ध कराना है। ताकि हथकरघा क्षेत्र में मूलभूत कच्चे माल की नियमित आपूर्ति को सुगम बनाया जा सके और इस क्षेत्र की रोजगार देने की क्षमता का उपयोग करने में उसको मदद पहुँचायी जा सके ।

योजना के लाभार्थी :–

- व्यक्तिगत बुनकर और बुनकर उद्यमी
- स्वयं सहायता समूह
- राष्ट्रीय/राज्य /क्षेत्रीय /प्राथमिक स्तर के सभी हथकरघा संगठन
- हथकरघा विकास केन्द्र
- मान्यता प्राप्त/अनुमोदित हथकरघा संघों के सदस्य

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– हथकरघा वस्तुओं को तैयार करने के लिए अपेक्षित सभी किस्म का धागा, मिल गेट कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है।

आवेदन कहाँ करें :– राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) क्रियान्वयन एजेंसी होगी ।

नोट :– अधिक जानकारी के लिए बुनकर सेवा केन्द्र, कामधेनु कमर्शियल काम्प्लेक्स, सिविल लाइन, अजमेर रोड़ जयपुर पर संपर्क करें, फोन न. 0141–2224165

सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं

विधवा महिला की पुत्रियों के विवाह में सहयोग हेतु आर्थिक योजना/सहयोग एवं उपहार योजना

योजना का उद्देश्य :– इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशी उपलब्ध करवायी जाती है।

योजना के लाभार्थी :– यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु है, जिसमें समस्त बी.पी.एल., आस्था कार्डधारी तथा विधवा महिला जिसने पुनर्विवाह नहीं किया हो तथा उसके परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई सदस्य नहीं हो। साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रु. से अधिक नहीं हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– प्रत्येक कन्या (दो से अधिक न हो) की शादी के लिए 20–20 हजार रु. की सहायता राशि (विवाह से 6 माह पूर्व व 6 माह पश्चात् तक आवेदन आवश्यक) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त 10वीं पास को 10 हजार अतिरिक्त यानि 30 हजार तथा स्नातक पास को 20 हजार अतिरिक्त यानि 40 हजार रु. दिए जायेंगे।

आवेदन कहाँ करें :– सरपंच / वार्ड पार्षद की सिफारिश पर जिला परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु एकमुश्त राशि प्रदान करने की योजना

योजना का उद्देश्य :– विशेष योग्यजन पेंशनधारी व्यक्ति यदि स्वावलम्बी बनने के उद्देश्य से अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

योजना के लाभार्थी :– आवेदक कोष कार्यालय से विशेष योग्यजन पेंशनधारी व्यक्ति होना चाहिए तथा आवेदक विशेष योग्यजन अधिनियम 1995 के प्रावधनों के अनुसार विशेष योग्यजन हों। तथा वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– आवेदक को विशेष योग्यजन पेंशन के स्थान पर एकमुश्त 15,000 रु. का भुगतान किया जायेगा।

आवेदन कहाँ करें :– सम्बंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

योजना का उद्देश्य :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत अपंगता रखने वाले विशेष योग्यजनों को स्वयं का रोजगार शुरू करने एवं आर्थिक रूप से मजबूत करना है।

योजना के लाभार्थी :– आवेदक विशेष योग्यजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी विकलांगता का 40 प्रतिशत या अधिक होना चाहिये। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों तथा आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रु. से अधिक न हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रु. की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रु. जो भी दोनों में कम हो रु. अनुदान के रूप में दी जाएगी।

वृद्धावस्था पेंशन

योजना का उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे की वृद्धावस्था में लोग आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन कर सकें।

योजना के लाभार्थी :– निराश्रित 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या 55 वर्ष की महिला को पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। इस योजना के लिए जरूरी है, कि आवेदक राजस्थान का वास्तविक निवासी हो और आवेदन करने की तिथि से कम से कम सात वर्ष पहले से राजस्थान में रहता हो एवं जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय न हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स के लिए 750 रु. प्रतिमाह तथा 75 वर्ष एवं उससे अधिक के पेंशनर्स के लिए 1000 रु. प्रतिमाह पेंशन।

आवेदन कहाँ करें :– पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदक पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला पेंशन

योजना का उद्देश्य :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य निराधार तथा विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन आसानी से चलाने में मदद करना है।

योजना के लाभार्थी :– निराश्रित 18 वर्ष से किसी भी आयु की विधवा को यह पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। राजस्थान का वास्तविक निवासी हो और आवेदन करने की तिथी को कम से कम सात वर्ष की अवधि से राजस्थान में रहता हो। जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हों अथवा नियमित आय न हो। उसके परिवार का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हों अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से सक्षम न हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

18 वर्ष या अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा महिला को	500 रु. प्रतिमाह
60 वर्ष या अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा महिला को	1000 रु. प्रतिमाह
75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा महिला को	1500 रु. प्रतिमाह

आवेदन कहाँ करें :– पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदक उपखंड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

बीमा योजनाएं

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

योजना का उद्देश्य :– आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा का आधार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का शुभारम्भ किया गया।

योजना के लाभार्थी :–

- 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष तक की आयु वाला व्यक्ति योजना में शामिल हो सकता है।
- आधार कार्ड, एक स्व प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाणपत्र तथा बैंक में बचत खाता का होना जरुरी है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत धारक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर धारक के परिवार जनों को 2 लाख रु. मिलने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को प्रति वर्ष रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए प्रीमियम शुल्क 330 रु. प्रति वर्ष तय किया गया है।

आवेदन कहाँ करें :– बैंक में

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

योजना का उद्देश्य :– यह सबसे कम प्रीमियम पर मिलने वाली बीमा पॉलिसी है इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के भविष्य की सुरक्षा करना है।

योजना के लाभार्थी एवं शर्तें :–

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति लाभ उठा सकता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरुरी है।
- अगर किसी उपभोक्ता का 1 या अधिक बचत खाते हैं तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत योजना से जुड़े रहने के दो विकल्प हैं :

1. प्रति वर्ष 1 जून से पहले फॉर्म भरें। फॉर्म जमा करने के बाद बैंक प्रीमियम राशि खाते से काट लेगी ।

2. दूसरा विकल्प ये है कि 2 से 4 वर्ष का लम्बे समय का कवरेज। अगर धारक इसे चुनता है तो प्रीमियम राशि प्रति वर्ष स्वतः बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी ।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

1. दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से शारीरिक विकलांगता होने पर 2 लाख रु. दिए जाते हैं।

2. आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रु. का कवरेज दिया जायेगा।

आवेदन कहाँ करें :– बैंक में।

श्रमिक सुरक्षा की योजनाएं

अटल पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य :– अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है।

योजना के लाभार्थी :– ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000 या 2,000 या 3000 या 4000 या 5000 प्रति माह रु. की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का जीवन बीमा भी कवर किया जाता है।

आवेदन कहाँ करें :– बैंक शाखा/पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का बचत बैंक खाता है वहाँ संपर्क करें एवं यदि खाता नहीं है तो नया बचत खाता खुलवायें।

मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षाकोष योजना

योजना का उद्देश्य :– यह योजना राज्य के ऐसे बी.पी.एल. परिवार, स्टेट बी.पी.एल. परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, एचाईवी/एड्स मरीज, विधवा/वृद्धजन/निशक्तजन(विकलांग) पेंशनर जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं उनके लिए है इस योजना के अंतर्गत आउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है।

योजना के लाभार्थी :– बी.पी.एल.तथा गैर बी.पी.एल परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रु. से कम है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– असाध्य बीमारी के इलाज के लिए खर्चे का 40 प्रतिशत, अधिकतम 60 हजार रु.।

आवेदन कहाँ करें :– जिला चिकित्सालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

योजना का उद्देश्य :– केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) एवं आस्था कार्डधारी परिवारों के मुखिया/कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या स्थायी पूर्ण/आंशिक अपंगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सम्बल देने के उद्देश्य से पन्नाधाय जीवन अमृत योजना शुरू की गयी है।

योजना के लाभार्थी :– बीपीएल एवं आस्था कार्डधारी परिवार के कमाऊ सदस्य/मुखिया/उसके द्वारा नामित सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की हो का बीमा कराया जाता है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रु., दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रु. तथा बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 तक के दो बच्चों को 100 रु. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी देय है।

आवेदन कहाँ करें :– ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज/स्थानीय निकाय विभाग/भारतीय जीवन बीमा निगम/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

निर्माण मजदूरों के लिए योजनाएं

निर्माण श्रमिक सुलभ/सुलभ्य आवास योजना

योजना के लाभार्थी :–

- मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हों।
- यदि स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाता है, तो भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नी/ पति का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखण्ड/सम्पत्ति विवाद रहित बंधन रहित हो।
- वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणिकरण पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता या उससे उच्च अभियन्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

- हाउसिंग फॉर आल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हितधारकों को, संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम 1.50 लाख रु. तक की सीमा में अनुदान।
- स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रु. निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक अनुदान।

आवेदन कहाँ करें :– आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा।

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना

योजना का उद्देश्य :– यह योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकृत सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना के लाभार्थी :–

- पंजीकृत निर्माण श्रमिक हिताधिकारी हों।
- सिलिकोसिस से पीड़ित होना न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- हिताधिकारी को राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड (रीहेब) से सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई हो।
- वे श्रमिक, जिन पर खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं, वे सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- आवेदन की समय सीमा मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण–पत्र दिये जाने से 6 माह तक तथा मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि तक।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– सिलिकोसिस से पीड़ित होने पर एक लाख रु. और सिलिकोसिस से पीड़ित की मृत्यु होने पर तीन लाख रु. की सहायता राशी दी जाती है।

आवेदन कहाँ करें :– सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित द्वारा एवं पीड़ित होने की दशा में स्वयं हिताधिकारी द्वारा संबधित जिला श्रम कार्यालय में अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन में प्रस्तुत करना होता है।

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

योजना का उद्देश्य :– इस योजना के अंतर्गत मंडल की शिक्षा व कौशल विकास विधमान तीन योजनाओं (शिक्षा सहायता, छात्रवृति) योजना , मेधावी छात्र–छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना) को एकीकृत कर तथा देय लाभ को बढ़ाकर निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना चालू की गई है।

योजना के लाभार्थी :–

- निर्माण श्रमिक की दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृति प्राप्त करने की पात्रता है, परन्तु पति और पत्नी दोनों पंजीकृत हिताधिकारी हों तो पति पत्नी के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृति की पात्रता होगी। परन्तु मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी।

- पात्र व्यक्ति का कक्षा 6 से स्नातकोत्तर सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
- मेधावी छात्र–छात्राओं द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक या समक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

छात्रवृति	कक्षा 6 से 8		कक्षा 9 से 12		आईटीआई		डिप्लोमा *	
	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन
राशि रू.	8000	9000	9000	10000	9000	10000	10000	11000

छात्रवृत्ति	स्नातक सामान्य		स्नातक प्रोफेशनल *		स्नातकोत्तर सामान्य		स्नातकोत्तर प्रोफेशनल *	
	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन
राशि रू.	13,000	15,000	18,000	20,000	15,000	17,000	23,000	25,000

मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार	कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 12	डिप्लोमा *	स्नातक	स्नातकोत्तर	स्नातक प्रोफेशनल *	स्नातकोत्तर प्रोफेशनल *
राशि रू.	4,000	6,000	10,000	8,000	12,000	25,000	35,000

नोट* डिप्लोमा से आशय पोलोटेक्नीक, इंजीनियरिंग तथा अन्य डिप्लोमा से है तथा प्रोफेशनल कोर्स से आशय चिकित्सा, अभियांत्रिकी, बीई, बीटेक, एमबीए, एमडी, एमएस, एमटेक, एमसीए आदि कोर्स से है।

आवेदन कहाँ करे :– पात्र व्यक्ति अपने आवेदन को श्रम कल्याण विभाग में या ऑनलाइन भी जमा करा सकता है। आवेदन पत्र कक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से अधिकतम 6 माह में जमा करा सकता है।

शुभशक्ति योजना

योजना का उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य हिताधिकारी अविवाहित महिलाओं तथा हिताधिकारी श्रमिक की बालिक बेटियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना के लाभार्थी :–

- लड़की के माता या पिता अथवा दोनों कम से कम एक वर्ष मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हों।
- हिताधिकारी की अधिकतम दो पुत्री अथवा महिला अधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन देय होगा।
- लाभार्थी महिला एवं बेटी 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा 18 वर्ष से कम उम्र न हो।
- लाभार्थी महिला एवं लाभार्थी बेटी का बैंक में खाता होना चाहिए।
- लाभार्थी का अपना मकान होने की दशा में शौचालय होना आवश्यक है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– हिताधिकारी की वयस्क और अविवाहित पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55 हजार प्रोत्साहन सहायता राशि देय होगी प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी या पुत्री के विवेक के अनुसार आगे की शिक्षा या व्यवसाहिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं का विवाह आदि कार्य हेतु।

आवेदन कहाँ करें :– इस योजना में आवेदन करने के लिए राजस्थान सरकार श्रमिक कल्याण मण्डल की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके, उसमें मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद जरुरी कागजों की फोटो–कॉपी लगा कर श्रम विभाग में जमा करें।

अल्पसंख्यकों (अकलियतों) के लिए विशेष कार्यक्रम

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप 15 कार्यक्रमों की सहभागिता तय की गयी है जो इस प्रकार हैं;–

- **शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना –** (1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। (2) विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। (3) उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन (4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण (5) अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति (6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठानों के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना।
- **आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी –** (7) गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना। (8) तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन (9) आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए ऋण सहायता प्रदान करना। (10) राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती।
- **अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना –** (11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी (12) अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार।
- **सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण –** (13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम (14) साम्प्रदयिक अपराधों के लिए अभियोजन (15) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास।
- इस कार्यक्रम की निगरानी अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा की जाती है। इस विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के प्रगति की जानकारी ली जा सकती है।

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP)

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की संकल्पना सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की एक विशेष पहल के रूप में की गई थी। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसे वर्ष 2008–09 में 90 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों (एम सी डी) में आरम्भ किया गया था। इनमें उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जिनमें 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी है।

यह एक क्षेत्र विकास पहल है, जिसे सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की विकास सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था।

ब्लॉक योजना की इकाई के तौर पर

एमएसडीपी के क्रियान्वयन हेतु योजना की इकाई ब्लॉक होगा, न कि जिला। इससे पात्र अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉकों (एमसीबी) जो इस समय मौजूदा एमसीबी से बाहर पड़ते हैं, को कवर करने में भी मदद मिलेगी।

12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के 8 जिलों, 10 ब्लॉक्स एवं 3 अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बों में लागू की गयी है।

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स/नगर		
जिला	**ब्लॉक**	**शहर**
सवाईमाधोपुर	–	गंगापुर सिटी
हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	–
टोंक	–	टोंक
भरतपुर	काँमा	–
	नगर	
नागौर	–	मकराना

अलवर	लक्ष्मणगढ़	–
	किशनगढ़	
	तिजारा	
	रामगढ	
जैसलमेर	सम	–
	साकड़ा	

मैट्रिक पूर्व छात्रवृति

योजना का उद्देश्य :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना के लाभार्थी :– 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रु. से अधिक नहीं हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

क्रं.सं.	मद	दर (छात्रावासी हेतु)	दर (डे–स्कॉलर हेतु)
1	प्रवेश फीस कक्षा 6 से 10 तक	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक फीस (जो भी कम हो)	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक फीस (जो भी कम हो)
2	शिक्षण शुल्क कक्षा 6 से 10 तक	350 रुपये वार्षिक या वास्तविक फीस (जो भी कम हो) 10 माह के लिये	350 रुपये वार्षिक या वास्तविक फीस (जो भी कम हो) 10 माह के लिये
3	अनुरक्षण भत्ता एक वर्ष में अधिकतम 10 माह का कक्षा 1 से 5 तक कक्षा 6 से 10 तक	600 रुपये वार्षिक या वास्तविक फीस (जो भी कम हो)	100 रुपये प्रतिमाह 100 रुपये प्रतिमाह

आवेदन कहाँ करें :– सम्बंधित विद्यालय एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति

योजना का उद्देश्य :– अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11 से 12 तक के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह छात्रवृति प्रदान की जाती है।

योजना के लाभार्थी :– 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रु. से अधिक नहीं हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

- कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को दाखिला तथा शिक्षण शुल्क के लिए अधिकतम 7000 रु. प्रतिवर्ष, कक्षा 11 व 12 स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमो में पढ़ने वाले विद्यार्थियों हेतु दाखिला तथा शिक्षण शुल्क के लिए अधिकतम 10 हजार रु. प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।
- स्नातक तथा स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क के लिए अधिकतम 3000 रु. प्रतिवर्ष, एक शिक्षण सत्र में 10 माह के लिए अनुरक्षण भत्ता 570 रु. प्रतिवर्ष छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए तथा 300 अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता है।
- वे विद्यार्थी जो छात्रावास में रह कर एम.फिल/पीएचडी कर रहे हैं तथा जिन्हें कोई फैलोशिप नहीं मिल रही है, ऐसे विद्यार्थियों को 1200 रु. तथा छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों को 550 रु. की राशि प्रतिमाह दी जाती है।

आवेदन कहाँ करें :– सम्बंधित विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं हेतु मैरिट कम मीन्स छात्रवृति

योजना का उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना हैं ताकि वे व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढाई कर सकें।

योजना के लाभार्थी :–

- माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस छात्रवृति का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से व्यवसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेशित हुए हो।
- ऐसे छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के बिना तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करते हैं, वे भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। लेकिन ऐसे छात्रों के उच्च माध्यमिक या स्नातक स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

- 1. ट्यूशन फीस– 20000 रु. तक प्रति वर्ष या वास्तविक फीस जो भी कम हो।
- 2. अनुरक्षण भत्ता– 10000 रु. वार्षिक (1000 रु. मासिक 10 माह तक) तथा डे–स्कॉलर हेतु यह राशि 5000 रु. वार्षिक(500 रु. मासिक 10 माह तक)।

आवेदन कहाँ करें :– मैरिट कम मीन्स छात्रवृति (नवीन) की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो चुकी है।

अनुप्रति योजना

योजना का उद्देश्य :– अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) सयुंक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

योजना के लाभार्थी :– जिनके माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थियों की आय को सम्मिलित करते हुए) यदि दो लाख रु. से अधिक न हो। प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के दिनांक से 30 दिन तक अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु :– प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 65 हजार रु., मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30 हजार रु. तथा साक्षात्कार में उत्तीर्ण(अंतिम रूप से चयन) होने पर 5 हजार रु.।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) सयुंक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु :– प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25 हजार रु., मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रु. तथा साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अंतिम रूप से चयन) होने पर 5 हजार रु. की राशि दी जाती है।

आवेदन कहाँ करें :– जिलाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग।

अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं के लिए नि:शुल्क आवासीय छात्रावास की योजना

योजना का उद्देश्य – अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त संभागीय मुख्यालयों तथा 23 अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स पर चरणबद्ध रूप से अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं।

योजना के लाभार्थी :–

- छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं के परिवार (माता–पिता) की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 2 लाख रु. से अधिक न हो तथा आय प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा उद्घोषित एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- अल्पसंख्यक समुदाय के अनाथ, विधवा व विकलांग महिलाओं की पुत्रियों को 10 प्रतिशत प्रवेश की प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– महाविद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा की कोचिंग

में अध्यनरत छात्र–छात्राओं तथा 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्यनरत छात्र–छात्राओं हेतु अल्पसंख्यक छात्रावास स्थापित किये गए हैं। वर्तमान में छात्रावास स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं जिसमें प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए 2000 रु. प्रतिमाह एवं अधिकतम 9 माह 15 दिवस की अवधि हेतु भोजन एवं अन्य सुविधाओं के लिए अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

आवेदन कहाँ करें :– छात्र/छात्राएं अपने प्रार्थना पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न कर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करें।

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण ऋण

योजना का उद्देश्य :– यह स्वरोजगार तथा रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गयी है।

योजना के लाभार्थी :– 16 से 32 वर्ष तक के आवेदकों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय शहरी क्षेत्र में 1.3 लाख रु. एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 81 हजार रु. से कम हों, को उपलब्ध कराया जाता है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 वर्ष की अवधि वाले राज्य सरकार/केंद्र सरकार अथवा उनकी किसी एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु प्रतिवर्ष 4 लाख रुपये की दर से 20 लाख रुपये तक एवं विदेश में पढ़ाई करने के लिए प्रतिवर्ष 6 लाख रुपये की दर से 30 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इस शैक्षिक ऋण पर 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है। ऋण का पुनर्भुगतान पाठ्यक्रम पूर्ण करने के 6 माह अथवा रोजगार प्राप्त होने, जो भी पहले हो, से करना होता है।

आवेदन कहाँ करें :– जिला अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड।

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

योजना का उद्देश्य :– मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य में संचालित मदरसों का आधारभूत संरचना का विकास करना तथा मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा की जागृति लाकर अधिक से अधिक छात्र छात्राओं में अध्ययन के प्रति रूचि जागृत कर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम की तरफ प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत मदरसों को आधुनिक शिक्षा देने हेतु कक्षा–कक्ष निर्माण, छात्रावास निर्माण, भवन मरम्मत कार्य एवं आधारभूत भौतिक सुविधाएं करवाई जाएगी ।

मदरसों में अध्ययनरत एवं आवासीय विद्यार्थियों के अनुसार मदरसों को 3 श्रेणियों में बांटकर अनुदान दिया जाता है

1. मॉडल मदरसा 2. आवासीय मदरसा 3. सामान्य मदरसा

योजना के लाभार्थी एवं योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

1. **मॉडल मदरसा :–** 3 साल पुराना पंजीयन, स्वयं की भूमि व विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 100 को अनुदान दिया जाता है।
   (अ). भवन अनुदान :– इसके लिए दो स्कीम है :
   स्कीम (1) – 3.90 लाख रु. (वर्ष 2012–13) प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि
   स्कीम (2) – 10 लाख रु. अधिकतम
   (ब). भौतिक अनुदान :– 1.50 लाख रु. अधिकतम।
2. **आवासीय मदरसा :–** 3 साल पुराना पंजीयन (यदि एक वर्ष पुराना पंजीयन है तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से 3 वर्ष से संचालन का प्रमाण पत्र) स्वयं की भूमि व विद्यार्थियों की संख्या 100 एवं आवासीय विधार्थियों की संख्या 50 हो।
   (अ). भवन अनुदान :– 3.90 लाख रु. (वर्ष 2012–13) प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि।
   (ब). भौतिक अनुदान :– 1.50 लाख रु. अधिकतम।
3. **सामान्य मदरसा :–** एक साल पुराना पंजीयन, विद्यार्थियों की संख्या 50 हो।
   (अ). भवन अनुदान :– 0.50 लाख रु. (वर्ष 2012–13) प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि।
   (ब). भौतिक अनुदान :– 1 लाख रु. अधिकतम।

आवेदन कहाँ करें :– योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु मदरसे को निर्धारित आवेदन पत्र में वर्णित सभी दस्तावेजों के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नई उड़ान (केन्द्रीय योजना)

योजना का उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह केन्द्र सरकार की योजना है।

योजना के लाभार्थी तथा कार्यकारी एजेंसी :– आर्थिक सहायता के लिए केवल उन्ही अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबधित हैं और जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं तथा अन्य सभी पात्रता मापदंड और शर्ते पूरी करते हैं।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :– अल्पसंख्यक छात्र संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हो सकें तथा ग्रुप ''ए'' तथा ''बी'' पदों (राजपत्रित पद) के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) राज्य लोक सेवा आयोगों तहत ग्रुप बी (अराजपत्रित) पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (सयुंक स्नातक स्तरीय) द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देते हुए सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके।

आवेदन कहाँ करें :– योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र अभ्यर्थी परिणाम की घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर पोर्टल अर्थात www-naiudan&moma-gov-पद के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नई रोशनी – अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास योजना

अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास योजना'' संचालित है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास हेतु चयनित संस्था द्वारा आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण का संचालन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना के तहत 7 संस्थाओं के 10 प्रस्ताव का चयन अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।

इस योजना से वित्तीय वर्ष 2012–13 में 1250 अल्पसंख्यक महिला गैर आवासीय प्रशिक्षण से तथा 525 आवासीय प्रशिक्षण से कुल 1775 अल्पसंख्यक महिला लाभान्वित हुई हैं, तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में उक्त योजना हेतु प्रस्ताव सीधे ही स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

नोट : विस्तृत विवरण हेतु अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाईट पर देख सकते हैं।

हमारी धरोहर

योजना का उद्देश्य :– भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। यह योजना 14 वें वित्त आयोग के शेष तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2017–18 से 2019–20 की अवधि के लिए क्रियान्वित की जा रही है।

योजना के लाभार्थी :– अल्पसंख्यक समुदाय

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ एवं क्रियाकलाप :–

विरासत के संरक्षण के लिए चुनिंदा हस्तक्षेप और निम्न प्रकार की परियोजनाओं को कवर किया जा सकता है;–

1. विरासत को प्रदर्शित तथा संरक्षण करने के लिए आयकोनिक प्रदर्शनियों / नृत्य कला सहित प्रदर्शनियों को क्युरेट करना।
2. कैलीग्राफी आदि के लिए सहायता एवं संवर्धन देना।
3. साहित्य, दस्तावेज, पाण्डुलिपि आदि के संरक्षण
4. मौखिक परम्पराओं / कला विधाओं का प्रलेखन।

5. अल्पसंख्यक समुदायों की विरासत एवं इतिहास को प्रदर्शित करने एवं संरक्षण करने हेतु ''एथनिक संग्रहालयों'' के लिए सहायता देना।

6. विरासत से संबंधित सेमिनारों/कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन।

7. विरासत के संरक्षण और विकास में अनुसंधान हेतु अध्येतावृत्ति।

8. अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने हेतु व्यक्तियों, संस्थाओं को अन्य कोई सहायता।

आवेदन कहाँ करें :– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संगठनों/संस्थानों से समाचार पत्रों तथा मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट में विज्ञापन के माध्यम से चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव आमंत्रित करना होता है।

उस्ताद : विकास हेतु कौशलों का उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण

योजना का उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य शिल्पियों/कारीगरों का क्षमता–निर्माण करना तथा उनके पारम्परिक कौशलों को अध्यनत बनाना। प्रशिक्षित सिद्धहस्त शिल्पी/कारीगर अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न विशिष्ट पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण देना।

ज्ञान भागीदारों को मंत्रालय तथा पीआईए को निम्नलिखित क्रियाकलापों के माध्यम से सहायता करनी होगी

1. अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा व्यवहार में लाये जा रहे परम्परागत कौशल, शिल्पों की पहचान।
2. पहचान किये गये शिल्पों का मानक स्थापित करना।
3. पहचान किये गये शिल्पों का दस्तावेजीकरण।
4. डिजाईन विकास तथा अनुसंधान।
5. सिद्धहस्त शिल्पकारों तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए पाठ्यक्रम का विकास।
6. प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और प्रमाणन।
7. कोई अन्य क्रियाकलाप जिसे मंत्रालय परम्परागत कौशल/शिल्पों के परीक्षण तथा संवर्द्धन के लिए आवश्यक समझे।

योजना के लाभार्थी :–

- अभ्यर्थी अल्पसंख्यक समुदाय का हो और वस्त्र अभिकल्पन, चमड़ा अभिकल्पन, कालीन अभिकल्पन अथवा उस क्षेत्र में जिसमें वह उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अध्येतावृत्ति का लाभ उठाना चाहता है/चाहती है, में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चहिये।
- उसे नियमित एम.फिल./पीएच.डी के लिए किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया होना चाहिए।
- उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चहिये।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

- संस्थानों के माध्यम से कौशलों का उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण।
- अनुसंधान एवं विकास हेतु उस्ताद अध्येतावृत्ति।
- पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का संग्रह करने हेतु शिल्प संग्रहालय को सहायता।
- अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों को उनके उत्पादों का विपणन करने हेतु सहायता।

आवेदन कहाँ करें :– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आवयश्कता अनुसार पीआईए तथा ज्ञान भागीदारों से उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन और मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करना।

मौलाना आजाद फैलोशिप

योजना का उद्देश्य :– यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से एम.फिल/पीएचडी/जे.आर.एफ./एम.आर.एफ. करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को यह फैलोशिप दी जाती है।

योजना के लाभार्थी :– स्नातकोत्तर परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह फैलोशिप दी जाती है।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभ :–

फ़ेलोशिप	शुरूआती 2 वर्ष के लिए 25000 रु. प्रतिमाह (जेआरएफ) शेष अवधि के लिए 28000 रु. प्रतिमाह (01–12–2014 से संशोधित)
कला और वाणिज्य के लिए आकस्मिक	शुरूआती 2 वर्ष के लिए 25000 रु. प्रतिवर्ष शेष 3 वर्ष के लिए 20500 रु. प्रतिवर्ष
विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, प्रौधोगिकी एवं तकनीकी के लिए आकस्मिक	शुरूआती 2 वर्ष के लिए 12000 रु. प्रतिवर्ष शेष 3 वर्ष के लिए 25000 रु. प्रतिवर्ष
विभागीय सहायता	सम्बद्ध संस्थान को अवसंरचना के प्रावधान के लिए 3000 रु. प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की दर से
एस्कॉर्ट्स /रीडर	शारीरिक और द्रुष्टि विकारग्रस्त अभ्यर्थियों के मामलों में 2000 रु. प्रतिमाह

इसके अतिरिक्त मकान किराया भत्ता और अन्य आकस्मिक व्यय का भुगतान यूजीसी की तर्ज पर किया जायेगा ।

योजना के अन्तर्गत अध्येतावृति प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों का चयन सीबीएसई और सीएसआईआर द्वारा आयोजित यूजीसी के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में मैरिट के आधार पर किया जायेगा।

क्षेत्रीय विकास योजनाएं

मेवात क्षेत्रीय विकास योजना

अलवर एवं भरतपुर जिले का मेव बाहुल्य क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसके विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987–88 से मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के विकास को गति देना तथा इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊँचा उठाना है।

योजना क्षेत्र :–

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	योजना अंतर्गत शामिल गांवों की संख्या
1	अलवर	1. लक्ष्मनगढ़	90
		2. रामगढ़	112
		3. तिजारा	132
		4. मुण्डावर	14
		5. किशनगढ़वास	72
		6. कठूमर	14
		7. उमरैन	62
		8. कोटकासिम	9
		योग	505
2	भरतपुर	1. नगर	141
		2. डीग	12
		3. कामा	141
		योग	294
		महायोग	799

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :–

मेवात क्षेत्र में शामिल सभी गावों में आधारभूत सुविधाओं से सम्बंधित समस्याओं का चिन्हींकरण करते हुए भविष्य में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से कराये जाने वाली आवश्यक कार्यों को शामिल करते हुये समग्र ग्राम विकास योजना श्री योजना के दिशा निर्देशानुसार तैयार की जावेगी। मेवात योजनान्तर्गत गाँव के समग्र विकास हेतु मूल आधारभूत लक्ष्य श्री योजना में निम्नानुसार शामिल विभिन्न गतिविधियों के कार्य प्राथमिकता से कराये जावेंगे।

स्वच्छता :– प्रत्येक गाँव साफ–सुथरा होगा, खुले में शौच से मुक्ति, गंदे पानी की व्यवस्थित निकासी एवं निस्तारण, नाली निर्माण एवं सफाई व्यवस्था और ठोस एवं तरल कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन, संस्थागत या सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था।

स्वास्थ्य :– प्रत्येक गाँव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, प्रत्येक राजकीय या सामुदायिक परिसर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, फ्लोराइड युक्त पानी या खारा पानी युक्त वाले क्षेत्र में आर. ओ. प्लांट।

ग्रामीण संयोजकता :– प्रत्येक गाँव सुगम यातायात हेतु आतंरिक सड़कें मय नाली। राजकीय कार्यालय शिक्षा एवं चिकित्सा केन्द्रों तथा धार्मिक स्थानों हेतु सुगम पहुँच मार्ग। सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना।

शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा :– प्रत्येक गाँव में छात्र संख्या के अनुपात में शाला भवनों एवं कमरों का निर्माण। प्रयोगशाला की समुचित व्यवस्था, उपकरण एवं कैमिकल्स की व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इकाइयों के भवनों का निर्माण, शिक्षा एवं चिकित्सा केन्द्रों में शौचालय, छात्रों के शारीरिक एवं कौशल विकास हेतु खेल मैदान, शिक्षा एवं चिकित्सा इकाइयों में विद्युत, पंखे, फर्नीचर, बैड की व्यवस्था।

ऊर्जा :– प्रत्येक घर में रोशनी की व्यवस्था। राजकीय भवनों एवं शिक्षा एवं चिकित्सा केन्द्रों में रोशनी की व्यवस्था, सामाजिक व गाँव के आम रास्तों, सामाजिक व धार्मिक स्थानों, ग्राम चौपालों पर रोशनी की व्यवस्था।

सम्बंधित विभाग :– राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इस योजना का नोडल विभाग है तथा जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ट) नोडल एजेंसी एवं ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

योजना क्षेत्र :– राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों के 16 विकास खण्डों में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के रूप में मोडीफाइड सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 से लागू किया गया।

विशेषताएँ :–

- योजना में सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं सम्बंधित कार्यों पर बल दिया जाता है।
- सुरक्षा सम्बंधित कार्य भी कराये जा सकते हैं लेकिन आवंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत इस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है।
- स्थानीय योजनाओं के अभिसरण एवं भागीदारी के दृष्टिकोण से सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से प्रथम ग्राम को आधार मानते हुए 0 से 10 किमी. एवं 10 से 20 किमी. एवं इसी प्रकार क्रमशः 50 किमी. तक सम्पूर्ण आवश्यक अवसंरचना सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
- वार्षिक आवंटन की 15 प्रतिशत राशि रखरखाव पर व्यय की जा सकती है। कार्यों का संपादन राज्य/केन्द्रीय/पैरा मिलिट्री संस्थायें/पंचायती राज संस्थाएं/जिला काउन्सिल स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है।

नवाचार (नए जोड़े गए कार्य) :–

- **स्मार्ट विलेज कार्यक्रम :–** सीमान्त जिलों में 0 से 10 किमी. की दूरी पर 3000 से अधिक आबादी के 21 ग्रामों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा सीमान्त जिलों में 3 स्मार्ट विलेज (मिण्डाउ–बाड़मेर, 20 बीड़ी–बीकानेर एवं 18पी–श्रीगंगानगर) विकसित किये जाने हेतु प्रत्येक स्मार्ट विलेज के लिए 300 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- **यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम :–** मानव संसाधन विकास के सशक्तिकरण के क्रम में शहरी क्षेत्रों से छात्रों के सीमावर्ती ग्रामों की जनता के साथ ज्ञान एवं कौशल के आदान प्रदान क्रम में राज्य के समस्त जिलों से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा चयनित छात्रों को सीमान्त जिलों में भ्रमण एवं प्रवास कराया जायेगा।

कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों का अनुमोदन राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाता है।

महत्वपूर्ण कानून

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

अपने अधिकार या अपने हित में बनाई गयी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर निम्नलिखित कानूनों/अधिकारों का उपयोग करें

1. निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009

इस कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को आसपास के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक निशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। कभी स्कूल नहीं जाने वाले या बीच में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान है। यह सुविधा सरकारी व गैर सरकारी (प्राइवेट) सभी स्कूलों में उपलब्ध है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

इस अधिनियम से आपके अधिकारों या हितों में बनाई गयी योजनाओं के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है।

3. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011

लोग अपनी शिकायतों को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं परन्तु उनको कहीं भी राहत नहीं मिलती है इस परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवाओं की अदायगी की गारंटी कानून बनाया है इसके अंतर्गत निश्चित समय सीमा में आवेदक द्वारा दिए गये आवेदन का निस्तारण करना आवयश्क है।

4. राजस्थान सुनवाई का अधिकार कानून 2012

लोक सुनवाई सहयता केन्द्रों (LSSK) की स्थापना :– ग्रामीण क्षेत्रों में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र तथा शहरी क्षेत्रों में एकल खिड़की, जिला कलेक्टर कार्यालय में एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद स्तर पर बने राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों पर काउंटर बनाये गये हैं, जहाँ किसी भी प्रकार के परिवाद/शिकायात हेतु प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है तथा उक्त अधिकारी द्वारा परिवाद प्राप्त करने से इनकार नही किया जा सकता।

5. खाद्य सुरक्षा की गारंटी अधिनियम 2013

इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार ने जनता को पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने का वादा किया है इस कानून में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने 1 से 3 रु. प्रति किलो की कीमत पर दिए जाने का प्रावधान है।

पात्रता : इस कानून में लाभान्वितों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की होगी तथा देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को प्रतिमाह 3 रु., 2 रु., 1 रुपये प्रतिकिलो चावल, गेहूं और मोटा अनाज पाने का अधिकारी है। अति गरीब परिवार को अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलो दिये जाने का प्रावधान है। इस कानून में गरीब महिलाओं तथा बच्चो के लिए पात्रता के विशेष प्रावधान भी रखे गये है।

इसके अलावा मध्याह्न भोजन आंगनबाड़ी केन्द्र में पोषण वितरण और मातृत्व लाभ को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है।

पारदर्शिता तथा जबाबदेही :– कानून में 2 स्तरीय शिकायत निवारण ढ़ांचे का उल्लेख है। इसमें जिला शिकायत निवारण अधिकारी(DGRO) और राज्य खाद्य आयोग शामिल है। राज्य सरकारों को अपना अन्दरुनी शिकायत तंत्र भी बनाना होगा, जिसमें कॉल सेण्टर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारीयों की नियुक्ति या कानून में उल्लेखित किसी और तरह का तन्त्र सम्मिलित है।

खाद्य आयोग :– कानून में राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्य एवं एक सदस्य सचिव का प्रावधान रखा गया है। राज्य आयोग का मुख्य काम अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन का रहेगा तथा वह राज्य सरकार एवं उनकी एजेंसियों को सलाह देगा और पात्रता उल्लंघन के मामले पूछताछ कर सकेगा।

जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र :– राज्य तथा जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तथा हर जिले में DGRO की नियुक्ति की जाएगी, जो शिकायतों को सुनेगा और सरकार के नियमों के तहत कार्यवाही करेगा।

दंड और मुआवजा : जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दिए गये आदेश की अनुपालना न करने पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी पर 5 हजार रु. तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान कानून में रखा गया है। यदि केंद्र सरकार के कहे अनुसार पात्र व्यक्तियों को निर्धारित मात्रा में अनाज या आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो सरकार राज्य सरकार निर्धारित खाद्य सुरक्षा भत्ता उन्हें देना होगा।

जिलेवार जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों का पता एवं दूरभाष नं			
क्र.सं.	जिला		कार्यालय पता
1	अजमेर	0145-2628886	कलेक्ट्रेट परिसर, अजमेर
2	अलवर	0144-2330136	महल चौक, कलेक्ट्रेट परिसर, अलवर
3	बांसवाडा	0296-2247315	कलेक्ट्रेट परिसर, बांसवाडा
4	बारां	07453-237117	कमरा नं. 103 से 105 मिनी सचिवालय के नवीन विस्तार भवन, कलेक्ट्रेट, बारां
5	बाड़मेर	02982-225786	कलेक्ट्रेट परिसर, कमरा नं. 8 बाड़मेर
6	भरतपुर	05444-220364	मान्टेश्वरी विद्यालय के पास, किला भरतपुर
7	भीलवाडा	01482-232086	कमरा नं. 1–2 मीटिंग हॉल, कलेक्ट्रेट परिसर भीलवाड़ा
8	बीकानेर	0151-2201008	रानी बाजार, चौपड़ कटला, बीकानेर
9	बूंदी	0747-2442061	कलेक्ट्रेट परिसर, बूंदी
10	चित्तौडगढ	01472-240467	आदर्श कॉलोनी, कुम्भानगर मस्जिद के पास चित्तौडगढ
11	चुरू	01562-250586	समाज कल्याण परिसर, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट परिसर चुरू
12	दौसा	01427-224840	कमरा नं. 238 द्वितीय मंजिल, कलेक्ट्रेट परिसर दौसा
13	धौलपुर	05642-220421	कुंजीलाल दीक्षित गली नं. 1, अशोक विहार कॉलोनी, जीटी रोड, धौलपुर
14	डूंगरपुर	02964-230231	भूमि विकास बैंक के पास वाणिज्य कर विभाग के उपर, शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर
15	हनुमानगढ़	01552-261135	पुराणी कलेक्ट्रेट के कमरा नं. 17 हनुमानगढ़
16	जयपुर	0141-2785723	राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास (अपर बेसमेन्ट) मनसोवर, जयपुर
17	जैसलमेर	02992-250439	सिटी डिस्पेंसरी के पास, डीडीआरसी भवन, गाँधी कॉलोनी, जैसलमेर
18	जालौर	02973-222244	नर्मदा कॉलोनी भवन नं 111 / 1, जालौर
19	झालावाड़	07432-234110	कमरा नं 433 मिनी सचिवालय, झालावाड़
20	झुंझुनू	01592-232032	एसडीएम कार्यालय के पीछे, कलेक्ट्रेट परिसर, झुंझुनू
21	जोधपुर	0291-2751204	पाल लिंक रोड मोड़, चीरघर, महावीर मेडिकल स्टोर के ऊपर, जोधपुर
22	करौली	07464-250045	कलेक्ट्रेट भवन द्वितीय तल कमरा नं 205 करौली
23	कोटा	0744-2320778	कमरा नं 67 प्रथम तल, कलेक्ट्रेट परिसर, अदालत चौराहा, कोटा
24	नागौर	01582-240012	जिला कलेक्ट्रेट परिसर, कमरा नं 56 नागौर
25	पाली	02932-252019	कलेक्ट्रेट परिसर, पाली
26	प्रतापगढ़	01478-220260	कमरा नं 135–137 कलेक्ट्रेट परिसर, प्रतापगढ़
27	राजसमन्द	02952-220260	कमरा नं 304 कलेक्ट्रेट परिसर, राजसमन्द
28	श्रीगंगानगर	0154-2440206	जिला परिषद परिसर, श्रीगंगानगर
29	सवाई माधोपुर	07462-220359	समाज कल्याण परिसर, सवाई माधोपुर
30	सीकर	01572-248046	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आरटीओ ऑफिस के पास, सीकर
31	सिरोही	02972-225441	पुरानी कलेक्टर निवास के पास, कलावत बास नुक्कड़, सिरोही
32	टोंक	01432-243991	कमरा नं 13, कलेक्ट्रेट परिसर, टोंक
33	उदयपुर	0294-2411424	न्यू बिल्डिंग, तृतीय तल, कमरा नं 408 कलेक्ट्रेट परिसर, उदयपुर

बार्क टीम	:	नेसार अहमद
	:	महेन्द्र सिंह राव
	:	नवज्योति राणावत
	:	नौशाबा खान
	:	ऋषि सिंहा
	:	सकील कुरैशी
	:	शेरल शाह
	:	अंकुश वर्मा
	:	भीम सिंह मीणा
सलाहकार	:	डॉ. जिनी श्रीवास्तव

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

(आस्था की इकाई)

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

फोन/फैक्स : (0141) 238 5254

ईमेल : info@barcjaipur.org

वेबसाईट : www.barcjaipur.org

Designed & Printed by : Ruchika Creation # 9799321626